अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मोती पुत्र रामकरण जाति कुमावत बनाम छोटू पुत्र नारायण जाति कुमावत व अन्य

किस्म मुकदमा–प्रा.पत्रआदेश 41नियम 21 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151जा.दी

प्रार्थना पत्र संख्या 267/2022(मसूदा)

17.10.22

	श्री अक्षयनाथ देवड़ा एडवोकेट मोती बनाम छोटू वगैरह
07.09.2022	यह प्रार्थना पत्र श्री अक्षय नाथ देवड़ा एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा अपील संख्या 185/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2019 के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. के तहत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 19.09.2022 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
19.09.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम जा.दी. वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.09.2022 को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.05.2019 की जानकारी अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को पटवारी हल्का से हुई जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अजमेर आया एवं जानकारी करने पर आदेश की पुष्टि होने पर प्रार्थी ने दिनांक 22.08.2022 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 23.08.2022 को प्राप्त हुई और प्रार्थी अपने गॉव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर आया और अधिवक्त से सम्पर्क कर यह प्रार्थना पत्र तैयार करवाया जाकर बिना किसी देरी के मान्नीय न्यायालय में प्रसतुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त सद्भाविक कारण से होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है, इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना अति आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किया जावे तथा वाद की सुनवायी गुणावगुण पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम जा.दी. वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र सुनवाई दिनांक 30.09.2022 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मोती पुत्र रामकरण जाति कुमावत बनाम छोटू पुत्र नारायण जाति कुमावत व अन्य

किस्म मुकदमा–प्रा.पत्रआदेश 41नियम 21 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151जा.दी

प्रार्थना पत्र संख्या 267/2022(मसूदा)

30.09.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम जा.दी. पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम जा.दी. वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2022 को पेश हों।
17.10.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम जा.दी. वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी को स्थगन प्रा.पत्र पर दिनांक 30.09.2022 को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नही थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने दिनांक 09.05.2019 को केवल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये थें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2019 के विरूद्ध अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपीलेवल नही होते हुए भी उक्त अपील एक पक्षीय अपीलांट के पक्ष में गलत निर्णित किया जो मान्नीय न्यायालय के आदेश के क्षैत्राधिकार रहित था। अपीला।ट मान्नीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आया तथा गलत तथ्य दर्शाते हुए मान्नीय न्यायालय से दिनांक 22.05.2019 का एक पक्षीय गलत आदेश हासिल कर लिया तथा मान्नीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2019 को आज दिन तक उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के न्यायालय में आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं करवाया एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने उक्त प्रकरण को एक माह में निस्तारित नहीं किया है। प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है।यदि मान्नीय न्यायालय द्वारा अपने एक पक्षीय आदेश दिनांक दिनांक 22.05.2019 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को स्थगित ननहीं फरमाया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 22.05.2019 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को ताफैसला प्रकरण स्थगित फरमायी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे अथवा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. को स्वीकार न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.05.2019 को निरस्त जाकर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्ररकण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2019 के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील पर दिनांक 22.05.2019 को आदेश पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को इस आशय से प्रेतिप्रेषित किया गया था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस में करें तब तक

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मोती पुत्र रामकरण जाति कुमावत बनाम छोटू पुत्र नारायण जाति कुमावत व अन्य

किस्म मुकदमा–प्रा.पत्रआदेश 41नियम 21 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151जा.दी

प्रार्थना पत्र संख्या 267/2022(मसूदा)

न्यायालय हाजा द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.05.2019 की पालना में आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है, प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्देशो के बावजूद भी 3 वर्ष से अधिक समय तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया है, जो विधि सम्मत नही है। प्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लंबित रखने से प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होनी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निर्णय तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, प्रा.पत्र को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 21 जा.दी. आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 2019/00185 बउनवानी मोती बनाम छोटी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.05.2022 के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में (सप्ताह भर की चार पेशियॉ देकर) आवश्यक रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिये जाते है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। यदि उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो न्याय।लय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2019 स्वतः निरस्त समझा जायेगा।आदेश की प्रमाणित प्रति अपील संख्या 185/2019 आदेश दिनांक 22.05.2019 में सम्मिलित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर